बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 283210 पटना, दिनांक 02.09.2016

ग्रा.वि.-7(सा0वा0)-01/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 271321 दिनांक 10.05.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं के लक्ष्य एवं क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों को निदेश दिया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए फोकस एरिया के लक्ष्य में सड़क किनारे वृक्षारोपण भी सम्मिलित है जिसका लक्ष्य नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड है ।

इस क्रम में कतिपय जिलों से मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चयनित फैसिलिटेटर द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं तथा बिना फैसिलिटेटर के ही वृक्षारोपण का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है । साथ ही फैसिलिटेटर का सहयोग लिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है । दिनांक 19.08.2016 को उप विकास आयुक्त की विभागीय बैठक में समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्तों द्वारा वृक्षारोपण की अवधि का विस्तार 30 अक्टुबर तक करने का अनुरोध किया गया है । पौधों का क्रय वन विभाग के अलावे अन्य पौधशाला से क्रय करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश की मांग की गयी है । फरवरी 2015 में सामाजिक वानिकी के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा सभी जिलों के लिए फैसिलिटेटर का चयन कर इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । अत: निदेश दिया जाता है कि :-

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 में फैसिलिटेटर के माध्यम से संपादित वृक्षारोपण कार्य के लिए संबधित फैसिलिटेटर द्वारा संपोषण और सुरक्षा का कार्य निर्धारित 5 वर्ष (वृक्षारोपण की तिथि से प्रारंभ होकर) के लिए अनुबंध के शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
2. वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण के लिए जिन प्रखंडों में फैसिलिटेटर के माध्यम से अग्रिम कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं वहॉ फैलिसलिटेटर के माध्यम से ही वृक्षारोपण का कार्य एवं 5 वर्षो का संपोषण कार्य (वृक्षारोपण की तिथि से प्रारंभ होकर) पूर्व शर्तो के अनुरूप करवाये जायेंगे ।
3. वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण के लिए जिन प्रखंडों में फैसिलिटेटर के माध्यम से अग्रिम कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं वहॉ फैलिसलिटेटर के माध्यम से कार्य करवाये जाये अथवा नहीं के संबंध में उप विकास आयुक्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
4. वर्ष 2016-17 के लिए जिन प्रखंडों में वृक्षारोपण कार्य फैसिलिटेटर के माध्यम से हो चुके हैं (कंडिका-2 के संदर्भ में) एवं जिन प्रखंडों में फैसिलिटेटर के माध्यम से वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण का कार्य करवाने का निर्णय उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा लिया जाता है, उनके संबंध में प्रखंडों का नाम अंकित करते हुए वर्ष 2016-17 वृक्षारोपण और 5 वर्ष

संपोषण / सुरक्षा हेतु नया अनुबंध उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संबंधित फैसिलिटेटर के साथ किया जाएगा । नये अनुबंध की शर्त पुराने अनुबंध के अनुरूप ही होंगे ।

5. विभागीय पत्रांक 271321 दिनांक 10.05.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 का वृक्षारोपण कार्य 15.08.2016 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था । दिनांक 19.08.2016 को विभागीय बैठक में समीक्षा करने पर पाया गया कि लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण कार्य किसी भी जिला में सम्पन्न नहीं किया जा सका है । उप विकास आयुक्तों के अनुरोध और प्राक्कलन में जल पटवन का प्रावधान होने के मद्देनजर वृक्षारोपण करने की अवधि को 30 अक्टुबर 2016 तक बढ़ाया जाता है । सभी संबंधित सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण उपरांत पानी पटवन का कार्य और संपोषण कार्य प्राक्कलन अनुसार संपादित किया जाए ।
6. दिनांक 19.08.2016 को उप विकास आयुक्तों की बैठक में वन विभाग से अन्यत्र पौधा क्रय करने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी है । यह भी बताया गया कि वन विभाग में या तो 3 फीट से छोटा अथवा बहुत बड़ा पौधा उपलब्ध है जिसकी जड़ें जमीन में चली गयी है और उसका उपयोग करने से पौधों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी । पौधों को क्रय करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.2015 द्वारा स्पष्ट मार्गनिर्देश दिये गये हैं कि उक्त पत्र में facilitator के स्थान पर facilitator अथवा प्रोग्राम ऑफिसर पढ़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पौधा कम से कम 3 फीट ऊंचा और स्टम्प की मोटाई अंगूठे से कम नहीं हो और पौधा स्वस्थ हो ।

इस क्रम में सामाजिक वानिकी योजना के क्रियान्वयन में चयनित सभी फैसिलिटेटर की कार्यशैली के संबंध में स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि फैसिलिटेटर द्वारा कार्य नहीं किया गया है अथवा नहीं किया जा रहा है अथवा उनके संपादित कार्यों की गुणवत्ता कैसी है, के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदम एक सप्ताह के भीतर इस विभाग को प्रतिवेदित किया जाए ताकि इसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके । यह भी अनुरोध है कि विषय से संबंधित प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में 2016-17 वृक्षारोपण / कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह भेजा जाए । जुलाई माह का प्रगति प्रतिवेदन लौटती डाक में भेजा जाए ।

विश्वासभाजन

1/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक 283210 पटना, दिनांक 02.09.2016

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-01/2015

प्रतिलिपि:- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी फैसिलिटेटर (facilitator) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/9/2016

सचिव